

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-III/ 705

दिनांक :- 17.12.2019

आदेश संख्या 591/2019-20

श्री हिमांशु, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को प्रथम चयनित वेतनमान विभागीय आदेश संख्या 8/2001-02 दिनांक 20.04.2001 द्वारा दिनांक 11.02.2001 से स्वीकृत किया गया था (परिनिन्दा के दण्ड के कारण एक वर्ष पश्चात्) एवं द्वितीय एसीपी विभागीय आदेश संख्या 76/2009-10 दिनांक 26.08.2009 द्वारा दिनांक 11.02.2009 से स्वीकृत की गयी थी।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.14(88) एफडी (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार पूर्व में दिये गये दण्ड का प्रभाव आगामी एसीपी में भी प्रभावी होने के कारण श्री हिमांशु को द्वितीय एसीपी दिनांक 11.02.2009 के स्थान पर दिनांक 11.02.2010 से स्वीकृत की जाती है।

श्री हिमांशु, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1989-III/

दिनांक :- 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री हिमांशु, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)